संख्या-3/16/600/33-2-2016-19जी/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

2- निदेशक,
पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मोबाइल टावर पर शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

गॉवों में लगने वाले साप्ताहिक मेलों एवं बाजारों से तहबाजारी शुल्क की वसूली पर रोक लगाये जाने से पंचायतीराज संस्थाओं की आय में कमी हुई है जिससे उनके द्वारा संचालित कार्य प्रभावित हो रहे है। जिला पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मोबाइल टावर पर शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मोबाइल टावर पर शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु जिला पंचायतें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर बाईलाज बनाने का कष्ट करें तथा बाईलाज में शुल्क से प्राप्त आय को पंचायतीराज संस्थाओं के मध्य समानुपातिक आधार पर विभाजन करने का प्राविधान कर लिया जाय।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/16/600(1)/33-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।